

16/5/18

पत्रावली CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत बेंच  
द्वारा स्थापना/संशोधित की जाती है। पत्रावली दिनांक 23/6/18

के माध्यम से दिनांक 16/5/18 को राजस्व लोक  
अदालत बेंच स्थान भंवार के

अधीन प्रस्तुत हो, तदनुसार सभी पत्रावली संशोधित की

महायक कलेक्टर (उप), राजस्व, भंवार

16/5/18

पत्रावली डा. राजस्व लोक अदालत न्याय कोष  
द्वारा 2018 के कैम्प भंवार में पेश हुई। वकील  
एच अतिवारी सं 1, 2, 3, व 6 ने कैम्प में उपस्थित  
होकर राजीनामा पेश का निवेदन किया कि  
हम पक्षकारान के मध्य पूर्व में तुह लीलदा देव्या  
से विभाजन हुआ था जो हमारा सहमति के  
अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई।  
जिसके हमने यह वाद पेश किया था। हम  
दफ्तर का अधिकार सुरक्षित रखते हुए यह  
वाद विद्रोह करना चाहते हैं तथा राजीनामा  
स्वीकार कर इस वाद में आगामी कार्यवाही  
इस स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली  
क्रमांक 23/6/18 को संशोधित कर दिया है।

महायक कलेक्टर  
राजस्व

जोशीराम

मि. तुलसी  
मि. राजेश  
मि. सुमन  
मि. राज